



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27032024-253389
CG-DL-E-27032024-253389

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 72]

नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 26, 2024/चैत्र 6, 1946

No. 72]

NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 26, 2024/CHAITRA 6, 1946

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

जांच शुरूआत अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 मार्च, 2024

(मामला संख्या: ए डी (ओआई) -02/2024)

विषय: चीन जन.गण.,के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "सैक्रीन" के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच की शुरूआत।

फा. सं. 6/02/2024-डीजीटीआर.—1 . मै. स्वाति पेट्रो प्रोडक्ट्स लि. और मै. ब्ल्यू जैट हैल्थकेयर लि. (जिन्हें आगे संयुक्त रूप से "आवेदक" भी कहा गया है) ने समय-समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे "अधिनियम" भी कहा गया है) और समय-समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षति का निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे "नियमावली" भी कहा गया है) के प्रावधानों के अंतर्गत निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें आगे "प्राधिकारी" भी कहा गया है) के समक्ष एक आवेदन प्रस्तुत किया है जिसमें चीन जन.गण. (जिसे आगे "संबद्ध देश" भी कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "सैक्रीन" के पाटन का आरोप लगाते हुए पाटनरोधी जांच की शुरूआत करने का अनुरोध किया गया है।

क. विचाराधीन उत्पाद

2. विचाराधीन उत्पाद "सैक्रीन" (जिसे यहां आगे "संबद्ध वस्तु" अथवा "विचाराधीन उत्पाद" या "पीयूसी" भी कहा गया है) है।

3. सैक्रीन एक गैर-पोषक स्वीटनर है और इसे गन्ने की चीनी का कम कैलोरी वाला प्रतिस्थापक माना जाता है। प्राथमिक रूप से दो तरह के सैक्रीन अर्थात् घुलनशील और अघुलनशील होते हैं। बाजार शब्दावली में घुलनशील सैक्रीन को सोडियम सैक्रीन कहा जाता है जबकि अघुलनशील सैक्रीन को सैक्रीन या सैक्रीन ऐसिड कहा जाता है। सैक्रीन को दो भौतिक रूपों अर्थात् दानेदार और पाउडर रूप में उत्पादित किया जाता है। दानेदार रूप में सोडियम सैक्रीन का उपयोग ऐसी स्थिति में होता है जहां सैक्रीन को घोला जाएगा, पिसे हुए पाउडर रूप और स्प्रे ड्राइड का प्रयोग सूखे मिश्रण और भेषजों में होता है। यह जल में थोड़ा घुलनशील है। इनके अघुलनशील रूप का प्रयोग अनेक भेषज और चिकित्सीय प्रयोग में होता है। सैक्रीन का प्रयोग अनेक उद्योगों जैसे खाद्य और पेय, पर्सनल केयर उत्पादों, टेबलटॉप स्वीटनर, इलेक्ट्रोप्लेटिंग ब्राइटनर, भेषज आदि में होता है। सैक्रीन के सभी रूप वर्तमान जांच के दायरे के भीतर हैं।
 4. विचाराधीन उत्पाद को सीमा शुल्क उपशीर्षक संख्या के तहत सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अध्याय 29 में वर्गीकृत किया गया है। सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के 29251100। हालाँकि, सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक हैं और किसी भी तरह से इस जांच के दायरे पर बाध्यकारी नहीं हैं।
 5. आवेदकों ने वर्तमान आवेदन में किसी पीसीएन का प्रस्ताव नहीं किया है। प्राधिकारी ने विचाराधीन उत्पाद की इकाई कीमत में उतार-चढ़ाव देखे हैं। हितबद्ध पक्षकार इस जांच की शुरुआत की तारीख से 30 दिनों के भीतर पीयूसी/पीसीएन संबंधी अपनी टिप्पणियां/अनुरोध, यदि कोई हों, प्रस्तुत कर सकते हैं।
- ख. समान वस्तु**
6. आवेदकों ने दावा किया है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तु चीन जन.गण. के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के समान वस्तु है। यह बताया गया है कि आवेदकों द्वारा उत्पादित और चीन जन.गण. से आयातित वस्तु भौतिक और रासायनिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, कार्य और प्रयोग, संबद्ध वस्तु के उत्पाद विनिर्देशन की दृष्टि से तुलनीय हैं। संबद्ध वस्तु और आवेदकों द्वारा उत्पादित वस्तु तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं। आवेदकों ने दावा किया है कि उपभोक्ता संबद्ध वस्तु और आवेदकों द्वारा उत्पादित वस्तु का एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग कर रहे हैं। इस प्रकार, वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु को चीन जन.गण. से आयातित संबद्ध वस्तु के समान वस्तु माना जा रहा है।
- ग. घरेलू उद्योग और स्थिति**
7. यह आवेदन स्वाति पेट्रो प्रोडक्ट्स लिमिटेड और ब्लू जेट हेल्थकेयर लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है। संबद्ध वस्तु का उत्पादन करने वाले दो अन्य उत्पादक हैं, अर्थात् ए.एस. केमोफार्मा प्राइवेट लिमिटेड और श्री वरदायिनी केमिकल इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड।
 8. रिकॉर्ड में उपलब्ध साक्ष्य के अनुसार आवेदकों का उत्पादन कुल भारतीय उत्पादन का प्रमुख हिस्सा बनता है। इसके अलावा, आवेदकों ने संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु का आयात नहीं किया है और न ही वे संबद्ध वस्तु के किसी आयातक या निर्यातक से संबंधित हैं। उपर्युक्त के मद्देनजर, प्राधिकारी प्रथम दृष्टया नोट करते हैं कि आवेदक नियम 2(ख) के अनुसार पात्र घरेलू उद्योग हैं और आवेदन संबंधित नियमावली के नियम 5(3) के अनुसार स्थिति संबंधी मानदंडों को पूरा करता है।
- घ. संबद्ध देश**
9. वर्तमान जांच में संबद्ध देश चीन जन.गण. है।
- ड. जांच की अवधि**
10. वर्तमान जांच के लिए जांच की अवधि (पीओआई) अक्टूबर, 2022 – सितंबर, 2023 (12 माह) की है। क्षति जांच अवधि में 2020-21, 2021-22 और 2022-23 तथा जांच की अवधि शामिल है।
- च. आरोपित पाटन का आधार**
- क. सामान्य मूल्य**
11. आवेदकों ने दावा किया है कि चीन जन. गण. को गैर-बाजार अर्थव्यवस्था माना जाना चाहिए और सामान्य मूल्य नियमावली के अनुबंध-1 के नियम-7 के अनुसार निर्धारित होना चाहिए। आवेदकों ने नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 8(2) का उल्लेख किया है और बताया है कि चीन के उत्पादकों को यह दर्शाने का निर्देश दिया जाना चाहिए

कि नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 8(3) के अनुसार संबद्ध वस्तु का उत्पादन करने वाले उद्योग में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां मौजूद हैं। आवेदकों ने दावा किया है कि चीन जन. गण. के लिए सामान्य मूल्य को नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 और 8 के अनुसार निर्धारित किया जाना चाहिए।

12. आवेदकों ने अनुरोध किया है कि कोरिया संबद्ध वस्तु का एक प्रमुख उत्पादक और उपभोक्ता है। इस प्रकार, आवेदकों ने कोरिया गणराज्य में संबद्ध वस्तु के आयातों पर कोरिया में खपत के लिए लक्षित कीमत के रूप में विचार किया है और इस स्तर पर सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए इसका प्रयोग किया है। जांच शुरूआत के लिए सामान्य मूल्य कोरिया में संबद्ध वस्तु के आयातों की कीमत के आधार पर परिकलित किया गया है और उसे कारखाना द्वार स्तर बनाने के लिए विधिवत रूप से समायोजित किया गया है।

ख. निर्यात कीमत

13. संबद्ध वस्तु के लिए निर्यात कीमत प्रणाली और आंकड़ा प्रबंधन महानिदेशालय के सौदावार आयात आंकड़ों के आधार पर परिकलित की गई है। कीमतों को कारखाना द्वार स्तर तक लाने के लिए उचित कीमत समायोजनों का दावा किया गया है ताकि वे सामान्य मूल्य से तुलनीय बन सकें।

ग. पाटन मार्जिन

14. सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत की कारखाना द्वार स्तर पर तुलना की गई है, जो प्रथम दृष्टया दर्शाती है कि पाटन मार्जिन न्यूनतम सीमा से अधिक है और संबद्ध देश से विचाराधीन उत्पाद के संबंध में काफी अधिक है। इस प्रकार इस बात के पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य हैं कि संबद्ध देश से विचाराधीन उत्पाद का संबद्ध देश के निर्यातकों द्वारा भारत के घरेलू बाजार में पाटन किया जा रहा है।

घ. क्षति और कारणात्मक संबंध का आरोप

15. आवेदकों ने पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को हुई क्षति के संबंध में प्रथम दृष्टया साक्ष्य प्रदान किया है। संबद्ध देश से संबद्ध आयातों की मात्रा में समग्र तथा सापेक्ष दोनों तरह से वृद्धि हुई है। घरेलू उद्योग के क्षमता उपयोग में गिरावट आई है। पाटित आयातों द्वारा हुए कीमत न्यूनीकरण की वजह से घरेलू उद्योग पूरी लागत और तर्कसंगत आय प्राप्त करने के लिए अपनी कीमतों में वृद्धि नहीं कर पा रहा है। संबद्ध आयातों से घरेलू उद्योग के लाभप्रदता मापदंडों पर बुरा प्रभाव पड़ा है जिसकी वजह से घरेलू उद्योग को पीओआई में ऋणात्मक आय का सामना करना पड़ा है। घरेलू उद्योग की मालसूची के स्तरों में भी वृद्धि हुई है। इस प्रकार, आवेदक द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य प्रथम दृष्टया चीन जन. गण. से कथित पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को क्षति दर्शाते हैं।

ज. जांच की शुरूआत

16. घरेलू उद्योग द्वारा विधिवत रूप से साक्ष्यांकित आवेदन के आधार पर और पाटन तथा घरेलू उद्योग को परिणामी क्षति को सिद्ध करते हुए आवेदकों द्वारा प्रस्तुत प्रथम दृष्टया साक्ष्य से स्वयं को संतुष्ट करने के बाद प्राधिकारी नियमावली के नियम 5 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9क के अनुसार कथित पाटन और घरेलू उद्योग को परिणामी वास्तविक क्षति की पाटनरोधी जांच को एतद्वारा शुरू करते हैं ताकि कथित पाटन की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव का निर्धारण किया जा सके और पाटनरोधी शुल्क की ऐसी राशि की सिफारिश की जा सके जिसे यदि लगाया जाए तो वह घरेलू उद्योग को हुई क्षति को समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगी।

झ. सूचना प्रस्तुत करना

17. प्राधिकारी को समस्त पत्र ई-मेल पतों adg16-dgtr@gov.in, adv13-dgtr@gov.in, jd16-dgtr@gov.in और dd17-dgtr@gov.in पर ई-मेल के माध्यम से भेजे जाने चाहिए। यह सुश्चित किया जाना चाहिए कि अनुरोध का वर्णनात्मक हिस्सा पीडीएफ/एमएस वर्ल्ड फॉर्मेट में और आंकड़ों की फाइल एम एस एक्सल फॉर्मेट में खोजे जाने योग्य हो।
18. संबद्ध देश में ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों, भारत में उनके दूतावास के जरिए उनकी सरकार, भारत में संबद्ध वस्तु से संबंधित समझे जाने वाले आयातकों और प्रयोक्ताओं तथा घरेलू उत्पादकों को नीचे उल्लिखित समय सीमा के भीतर विहित प्रपत्र और ढंग से समस्त संगत सूचना प्रस्तुत करने के लिए अलग से सूचित किया जा रहा है।

19. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी नीचे उल्लिखित ई-मेल पतों पर नीचे निर्धारित समय सीमा के भीतर विहित प्रपत्र और ढंग से जांच से संगत अपने अनुरोध प्रस्तुत कर सकता है।
20. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने वाले किसी पक्षकार को अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराने के लिए उसका अगोपनीय अंश प्रस्तुत करना अपेक्षित है।
21. हितबद्ध पक्षकारों को यह भी सलाह दी जाती है कि इस जांच से संबंधित किसी अद्यतन सूचना से अवगत होने के लिए वे प्राधिकारी की अधिकारिक वेबसाइट (<http://www.dgtr.gov.in/>) को नियमित रूप से देखते रहें।

ब. समय सीमा

22. वर्तमान जांच से संबंधित कोई सूचना प्राधिकारी को एडीडी नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार इस सूचना की प्राप्ति की तारीख से तीस (30) दिनों के भीतर ई-मेल पतों adg16-dgtr@gov.in, adv13-dgtr@gov.in, jd16-dgtr@gov.in और dd17-dgtr@gov.in पर ई-मेल के माध्यम से भेजी जानी चाहिए। तथापि, यह नोट किया जाए कि उक्त नियम के स्पष्टीकरण के अनुसार सूचना और अन्य दस्तावेज मंगाने वाले नोटिस को निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा उसे भेजे जाने या निर्यातक देश के उचित राजनयिक प्रतिनिधि को दिए जाने की तारीख से एक सप्ताह के भीतर प्राप्त हुआ मान लिया जाएगा। यदि विहित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है या प्राप्त सूचना अधूरी होती है तो प्राधिकारी नियमावली के अनुसार रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।
23. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्वारा सलाह दी जाती है कि वे वर्तमान मामले में अपने हित (हित के स्वरूप सहित) की सूचना दें और उक्त समय सीमा के भीतर प्रश्नावली का अपना उत्तर/अनुरोध प्रस्तुत करें।

द. गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना

24. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने या गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करने वाले किसी पक्षकार को नियमावली के नियम 8(2) और इस संबंध में जारी व्यापार सूचनाओं के अनुसार उसका अगोपनीय अंश भी साथ में प्रस्तुत करना अपेक्षित है। उपर्युक्त का पालन न करने पर उत्तर/अनुरोध को अस्वीकृत किया जा सकता है।
25. प्रश्नावली के उत्तर सहित-प्राधिकारी के समक्ष कोई अनुरोध (उससे संलग्न परिशिष्ट/अनुबंध सहित) प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों के लिए- गोपनीय और अगोपनीय अंश अलग-अलग प्रस्तुत करना अपेक्षित है।
26. "गोपनीय" या "अगोपनीय" अनुरोधों पर स्पष्ट रूप से प्रत्येक पृष्ठ पर "गोपनीय" या "अगोपनीय" अंकित होना चाहिए। ऐसे अंकन के बिना प्रस्तुत किसी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा अगोपनीय माना जाएगा और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसे अनुरोध का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे।
27. गोपनीय अंश में ऐसी समस्त सूचना शामिल होगी जो स्वाभाविक रूप से गोपनीय है और/या ऐसी कोई अन्य सूचना जिसके प्रदाता द्वारा ऐसी सूचना के गोपनीय होने का दावा किया गया है। ऐसी सूचना जिसके स्वाभाविक रूप से गोपनीय होने का दावा किया गया है या वह सूचना जिसके अन्य कारणों से गोपनीय होने का दावा किया गया है, के मामले में उस सूचना के प्रदाता के लिए प्रदत्त सूचना के साथ उसके कारणों का एक विवरण प्रस्तुत करना अपेक्षित है कि ऐसी सूचना का प्रकटन क्यों नहीं किया जा सकता है।
28. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत सूचना के अगोपनीय रूपांतरण को उस सूचना, जिसके बारे में गोपनीयता का दावा किया गया है, पर निर्भर रहते हुए अधिमानतः सूचीबद्ध या रिक्त छोड़ी गई (जहां सूचीबद्ध करना व्यवहार्य न हो) और सारांशीकृत गोपनीय सूचना के साथ गोपनीय रूपांतरण की अनुकृति होना अपेक्षित है।
29. अगोपनीय सारांश पर्याप्त विस्तृत होना चाहिए ताकि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना की विषय वस्तु को तर्कसंगत ढंग से समझा जा सके। तथापि, आपवादिक परिस्थितियों में गोपनीय सूचना प्रदाता पक्षकार यह इंगित कर सकते हैं कि ऐसी सूचना का सारांश संभव नहीं है और नियमावली, 1995 के नियम 8 और प्राधिकारी द्वारा जारी उचित व्यापार सूचनाओं में पर्याप्त स्पष्टीकरण दिया जाना चाहिए कि सारांशीकरण क्यों संभव नहीं है।
30. हितबद्ध पक्षकार दस्तावेजों के अगोपनीय अंश के परिचालन की तारीख से 7 दिनों के भीतर हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दावा की गई गोपनीयता के मुद्दे पर उक्त ई-मेल पतों पर अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत कर सकते हैं।

31. सार्थक अगोपनीय अंश या नियमावली के नियम 8 और प्राधिकारी द्वारा जारी समुचित व्यापार सूचनाओं के अनुसार गोपनीयता के संबंध में पर्याप्त कारणों के विवरण के बिना किए गए किसी गोपनीय अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड में नहीं लिया जाएगा।
32. प्रस्तुत सूचना के स्वरूप की जांच करने के बाद प्राधिकारी गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि गोपनीयता का अनुरोध अपेक्षित नहीं है अथवा सूचना प्रदाता उक्त सूचना को सार्वजनिक करने या सामान्य रूप में अथवा सारांश रूप में उसके प्रकटन को प्राधिकृत करने का अनिच्छुक है तो वह ऐसी सूचना की अनदेखी कर सकते हैं।
- ठ. सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण**
33. पंजीकृत हितबद्ध पक्षकारों की एक सूची उन सभी से इस अनुरोध के साथ डी जी टी आर की वैबसाइट पर अपलोड की जाएगी कि वे ई-मेल के माध्यम से अन्य सभी हितबद्ध पक्षकारों को अपने अनुरोधों/उत्तर/सूचना का अगोपनीय अंश भेज दें। अनुरोध/उत्तर/ सूचना का अगोपनीय अंश परिचालित नहीं करने पर किसी हितबद्ध पक्षकार को असहयोगी माना जा सकता है।
- ड. असहयोग**
34. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार उचित अवधि के भीतर आवश्यक सूचना जुटाने से मना करता है अथवा उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराता है या जांच में अत्यधिक बाधा डालता है तो प्राधिकारी अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं और केन्द्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

अनन्त स्वरूप, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Directorate General of Trade Remedies)

INITIATION NOTIFICATION

New Delhi, the 26th March, 2024

(Case No. AD(OI)- 02/2024)

Subject: Initiation of anti-dumping investigation concerning imports of “Saccharin” originating in or exported from China PR

F. No. 6/02/2024-DGTR.—1. M/s. Swati Petro Products Ltd. and M/s. Blue Jet Healthcare Ltd. (hereinafter collectively referred to as applicants) have filed an application before the Designated Authority (hereinafter referred to as the "Authority") under the provisions of the Customs Tariff Act 1975, as amended from time to time (hereinafter also referred to as the "Act") and the Customs Tariff (Identification, Assessment, and Collection of Anti-Dumping Duty on dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, as amended from time to time (hereinafter referred to as the 'Rules'), seeking initiation of an anti-dumping investigation by alleging dumping of "Saccharin", originating in or exported from China PR (hereinafter referred to as the “subject country”).

A. PRODUCT UNDER CONSIDERATION

- The product under consideration is the “Saccharin” hereinafter also referred to as "subject goods" or "product under consideration" or "PUC").
- Saccharin is a non-nutritive sweetener and considered to be low calorie substitute for cane sugar. Primarily there are two types of saccharin i.e. soluble and insoluble. In market parlance soluble saccharin is called sodium saccharin whereas insoluble saccharin is called saccharin or saccharin acid. Saccharin is produced in two physical forms, viz. granular and powder. Sodium saccharin in granular form is used in situations where saccharin will be dissolved, the powder form which has been grounded and spray dried is used in dry mixes and pharmaceuticals. It is slightly soluble in water. Insoluble form of saccharin is used in many pharmaceutical and medical applications. Saccharin is used in a variety of industry such as food and beverage, personal care products, tabletop sweeteners, electroplating brighteners, pharmaceuticals, etc. All forms of saccharin are within the scope of the present investigation.
- The product under consideration is classified in Chapter 29 of the Customs Tariff Act, 1975 under customs subheading no. 29251100 of the Customs Tariff Act, 1975. However, Customs classifications are indicative

only and in no way binding on the scope of this investigation.

5. The applicants have not proposed any PCNs in the present application. The Authority has observed fluctuations in the unit price of the product under consideration. The interested parties may offer their comments/submissions on the PUC/ PCN, if any, within thirty days from the date of date of initiation of this investigation.

B. LIKE ARTICLE

6. The applicants have claimed that the goods produced by the domestic industry are like articles to the subject good originating in or exported from China PR. It has been stated that the article produced by the applicants and that imported from China PR are comparable in terms of physical and chemical characteristics, manufacturing process and technology, functions and uses, product specifications of the subject goods. The subject goods and the article manufactured by the applicants are technically and commercially substitutable. The applicants have claimed that consumers are using the subject goods and the article manufactured by the applicants interchangeably. Thus, for the purpose of the present investigation, the subject goods produced by the domestic industry is being treated as 'like article' of the subject goods imported from China PR.

C. DOMESTIC INDUSTRY AND STANDING

7. The application has been filed by Swati Petro Products Ltd. and Blue Jet Healthcare Ltd. There are two other producers producing subject goods, namely, A. S. Chemopharma Pvt. Ltd. and Shree Vardayini Chemical Industries Pvt Ltd.
8. As per the evidence available on record, production of the applicants accounts for "major proportion" of total Indian production. Further, the applicants have not imported the subject goods from the subject country nor are they related to any the importer or the exporter of the subject goods. In view of the above, the Authority notes *prima facie* that the applicants constitute an eligible domestic industry in terms of Rule 2 (b), and the application satisfies the criteria of standing in terms of Rule 5(3) of the Rules supra.

D. SUBJECT COUNTRIES

9. The subject country for the present investigation is China PR.

E. PERIOD OF INVESTIGATION

10. The period of investigation (POI) in the present investigation is October 2022- September 2023 (12 months). The injury investigation period has been considered as the period of investigation and 2020-21, 2021-22, and 2022-23.

F. BASIS OF ALLEGED DUMPING

a. Normal Value

11. The applicants have claimed that China PR should be treated as a non-market economy and the normal value should be determined in terms of Rule — 7 of Annexure I of the Rules. The applicants have cited Para 8(2) of Annexure-I of the Rules and have stated that the Chinese producers should be directed to demonstrate that market economy conditions prevail in the industry producing the subject goods in terms Para 8(3) of Annexure-I of the Rules. The applicants have claimed that for China PR, normal value should be determined in accordance with para 7 and 8 of Annexure I of the Rules.
12. The normal value, for the purpose of initiation of the investigation, has been constructed based on the best estimates of the cost of the production of the domestic industry of the subject goods as per the best information available after duly adjusting the selling, general and administrative expenses with reasonable profits.

b. Export Price

13. The export price for the subject goods has been computed based on the Directorate General of Systems & Data Management transaction-wise import data. Appropriate price adjustments have been claimed to make the prices at ex-factory levels so that they become comparable with the normal value.

c. Dumping Margin

14. The normal value and the export price have been compared at the ex-factory level, which *prima facie* establishes that the dumping margin is above the *de minimis* level and is significant with respect to the product under consideration from the subject country. Thus, there is sufficient *prima facie* evidence that the product under consideration from the subject country is being dumped in the domestic market of India by the exporters from the subject country.

G. ALLEGATION OF INJURY AND CAUSAL LINK

15. The applicants have provided *prima facie* evidence with respect to the injury suffered by the domestic industry

because of the dumped imports. The volume of the subject imports from the subject country has increased in both absolute as well as in relative terms. The capacity utilization of the domestic industry has declined. The price depression caused by the dumped imports have been preventing the domestic industry from increasing its prices to recover the full cost and achieve reasonable rate of returns. The subject imports have an adverse impact on the profitability parameters of the domestic industry due to which the domestic industry is earning negative returns in the POI. There has also been an increase in the inventory levels of the domestic industry. Thus, the evidence provided by the applicants, *prima facie* shows injury to the domestic industry caused by the alleged dumped imports from China PR.

H. INITIATION OF THE INVESTIGATION

16. On the basis of the duly substantiated application by the domestic industry, and having satisfied itself, on the basis of *prima facie* evidence submitted by the applicants substantiating the dumping and consequent injury to the domestic industry, the Authority hereby initiates an anti-dumping investigation into the alleged dumping and consequent material injury to the domestic industry in accordance with Section 9A of the Act read with Rule 5 of the Rules, to determine the existence, degree, and effect of alleged dumping and to recommend the amount of dumping duty, which if levied would be adequate to remove the injury to the domestic industry.

I. SUBMISSION OF INFORMATION

17. All communication should be sent to the Authority via email at the email adg16-dgtr@gov.in, adv13-dgtr@gov.in, jd16-dgtr@gov.in and dd17-dgtr@gov.in. It should be ensured that the narrative part of the submission is in searchable PDF/MS Word format and data files are in MS Excel format.
18. The known producers/exporters from the subject country, their government through their embassy in India, the importers and users in India known to be concerned with the subject goods and the domestic producers are being informed separately to enable them to file all the relevant information in the form and manner prescribed within the time-limit set out below.
19. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the form and manner prescribed within the time-limit set out below on the email addresses mentioned hereinabove.
20. Any party making any confidential submission before the Authority is required to make a non-confidential version of the same available to the other interested parties.
21. Interested parties are further advised to keep a regular watch on the official website of the Authority <http://www.dgtr.gov.in/> for any updated information with respect to this investigation.

J. TIME LIMIT

22. Any information relating to the present investigation should be sent to the Authority via email at the email addresses adg16-dgtr@gov.in, adv13-dgtr@gov.in, jd16-dgtr@gov.in and dd17-dgtr@gov.in within thirty days (30 days) from the date of receipt of the notice as per Rule 6(4) of the ADD Rules. It may, however, be noted that in terms of explanation of the said Rule, the notice calling for information and other documents shall be deemed to have been received within one week from the date on which it was sent by the Designated Authority or transmitted to the appropriate diplomatic representative of the exporting country. If no information is received within the prescribed time limit or the information received is incomplete, the Authority may record its finding on the basis of the facts available on records in accordance with the Rules.
23. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant investigation and file their questionnaire response/submissions within the above time limit.

K. SUBMISSION OF INFORMATION ON CONFIDENTIAL BASIS

24. Any party making any confidential submission or providing information on confidential basis before the Authority, is required to simultaneously submit a non-confidential version of the same in terms of Rule 8(2) of the Rules and the Trade Notices issued in this regard. Failure to adhere to the above may lead to rejection of the response/ submissions.
25. The parties making any submission (including Appendices/ Annexures attached thereto), before the Authority including questionnaire response, are required to file confidential and non- confidential versions separately.
26. The "confidential" or "non-confidential" submissions must be clearly marked as "confidential" or "non-confidential" at the top of each page. Any submission made without such marking shall be treated as non-confidential by the Authority, and the Authority shall be at liberty to allow the other interested parties to inspect such submissions.
27. The confidential version shall contain all information which is by nature confidential and/or other information which the supplier of such information claims as confidential. For information which is claimed to be confidential by nature or the information on which confidentiality is claimed because of other reasons, the

supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed.

28. The non-confidential version of the information filed by the interested parties should be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out (where indexation is not possible) and such information must be appropriately and adequately summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed.
29. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on a confidential basis. However, in exceptional circumstances, the party submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summary and a statement of reasons containing a sufficient and adequate explanation in terms of Rule 8 of the Rules, 1995, and appropriate trade notices issued by the Authority, as to why such summarization is not possible, must be provided to the satisfaction of the Authority.
30. The interested parties can offer their comments on the aforementioned email addresses on the issues of confidentiality claimed by the interested parties within 7 days from the date of circulation of the non-confidential version of the documents.
31. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or a sufficient and adequate cause statement in terms of Rule 8 of the Rules, and appropriate trade notices issued by the Authority, on the confidentiality claim shall not be taken on record by the Authority.
32. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied the request for confidentiality is not warranted or if the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or in summary form, it may disregard such information.

L. INSPECTION OF PUBLIC FILE

33. A list of registered interested parties will be uploaded on the DGTR's website along with the request therein to all of them to email the non-confidential version of their submissions/response/information to all other interested parties. Failure to circulate non-confidential version of submissions/response/information might lead to consideration of an interested party as non-cooperative.

M. NON- COOPERATION

34. In case where an interested party refuses access to, or otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

ANANT SWARUP, Designated Authority